न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 018/2018

1. तनवीर सिंह पुत्र श्री राकेश सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. राकेश सिंह पुत्र श्री हरदीप सिह जाति जटसिख निवासी 5 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. तजेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. रविन्द्र कौर पुत्री श्री हरदीप सिंह पत्नी स्व. श्री देवेन्द्र सिंह खेरा निवासी रिको रोड़, श्रीगंगानगर।
4. प्रवीन कौर पुत्री श्री हरदीप सिंह पत्नी श्री तजिन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन रिद्धि सिद्ध इन्कलेव, श्रीगंगानगर।
5. अंगदजीत सिंह पुत्र श्री राकेश सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. रतनदीप कौर पत्नी श्री राकेश सिंह जाति जटसिख साकिन 5 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता	वादी
2. श्री रोबिन कुमार गुम्बर अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1 ता 6
3. पैरोकार राज	प्रतिवादी संख्या 7

दिनांक :– 21.05.2018

–:: निर्णय ::–

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 5 एल.एन.पी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 32/32 का मुरब्बा नम्बर 50 की कुल 1.846 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा यानि 0.462 हैक्टर कृषि भूमि व इसी चक का खाता संख्या 11/48 का मुरब्बा नम्बर 48 की कुल 2.618 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1.353 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से व इसी चक का खाता संख्या 32/32 का मुरब्बा नम्बर 50 की कुल 1.846 हैक्टर में से 3/4 हिस्सा यानि 1.384 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व इसी चक का खाता संख्या 35/31 का मुरब्बा नम्बर 11 व 49 की कुल 3.593 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 तजेन्द्र सिंह के नाम से व इसी चक का खाता संख्या 51/47 का मुरब्बा नम्बर 11, 45, 48 की कुल 7.4115 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 राकेश सिंह व तजेन्द्र सिंह के नाम से

लगातार 2

बहिस्सा बराबर व इसी चक का खाता संख्या 2/8 का मुरब्बा नम्बर 3 व 13 की कल 8.803 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 5 अंगदजीत सिंह के नाम से तथा इसी चक का खाता संख्या 11/48 का मुरब्बा नम्बर 48 की कुल 2.618 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1.265 हैक्टर कृषि भूमि व खाता संख्या 49/50 का मुरब्बा नम्बर 3 की 1.240 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्रतिवादीया संख्या 6 रतनदीप कौर के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के परिवार की पैतृक एवं पैतृक सम्पत्ति से अर्जित आय से प्राप्त कृषि भूमि है तथा पैतृक सम्पत्ति की आय से भूमि खरीदकर परिवार के अलग–अलग सदस्यों के नाम से करवाई है,

इस प्रकार उक्त समस्त सम्पत्ति वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है जो कि जद्दी जायदाद होने के कारण इसमें वादी का जन्म से हक बनता है एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 का भी जन्म से हक बनता है। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 का वादी से बहुत स्नेह व लगाव है तथा उन्होने अपना हिस्सा वादी को देने का कहा हुआ है।

वादी को घरू बंटवारा के अनुसार चक 5 एल.एन.पी. का खाता संख्या 51/47 का मुरब्बा नम्बर 11, 45, 48 की कुल 7.4115 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 11 की 1.125 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 48 में से 1.031 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व इसी चक के खाता संख्या 35/31 का मुरब्बा नम्बर 11व 49 की कुल 3.593 हैक्टर कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 11 की 1.113 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि इस प्रकार कुल 6.001 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि प्राप्त हुई है तथा उक्त भूमि में काश्त कर रहा है तथा प्रतिवादीगण के साथ वादी का मुश्तरका कब्जा चला आ रहा है, प्रतिवादीगण द्वारा वादी को कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, सहमति से बंटवारा तुम्हारे नाम करवा देगें।

कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि वह वादी के हिस्सा की भूमि वादी के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे तथा दिनांक 01.02.2018 को प्रतिवादीगण ने वादी को उसके हिस्से की भूमि देने से इन्कार कर दिया है तथा उन्होने वादी को धमकी दी है कि तुम्हे कृषि भूमि नही देंगे तुमने जो करना है, कर लो। इस प्रकार प्रतिवादीगण वादी को हक व न्याय नही देना चाहते है। यही वाद कारण है।

उक्त हालातों मे उक्त जददी जायदाद में से वादी अपने अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

1. यह कि वादी को चक 5 एल.एन.पी. का खाता संख्या 51/47 का मुरब्बा नम्बर 11, 45, 48 की कुल 7.4115 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 11 की 1.125 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 48 में से 1.031 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व इसी चक के खाता संख्या 35/31 का मुरब्बा नम्बर 11 व 49 की कुल 3.593 हैक्टर कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 11 की 1.113 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि इस प्रकार कुल 6.001 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई जाकर, लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।
2. अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 15.02.2018 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री रोबिन कुमार गुम्बर अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि इस प्रकरण में गांव के मौजूज व्यक्तियों ने वादी एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है तथा पंचायत द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति से भूमि का बंटवारा करवा दिया है तथा बंटवारा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से घरू बंटवारा अनुसार भूमि प्राप्त हुई है :–

1. तनवीर सिंह पुत्र श्री राकेश सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) का हिस्सा :– चक 5 एल.एन.पी. का खाता संख्या 51/47 का मुरब्बा नम्बर 11, 45, 48 की कुल 7.4115 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 11 की 1.125 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि (तजेन्द्र सिंह के नाम वाली)।
2. राकेश सिंह पुत्र श्री हरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) का हिस्सा :– चक 5 एल.एन.पी. के खाता संख्या 32/32 का मुरब्बा नम्बर 50 की कुल 1.846 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा यानि 0.462 हैक्टर कृषि भूमि व इसी चक का खाता संख्या 11/48 का मुरब्बा नम्बर 48 की कुल 2.618 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1.353 हैक्टर कृषि भूमि, चक का खाता संख्या 51/47 का मुरब्बा नम्बर 11, 45, 48 की कुल 7.4115 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि यानि 3.706 हैक्टर कृषि भूमि इस प्रकार कुल 5.521 हैक्टर कृषि भूमि।
3. तजेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) का हिस्सा :– चक 5 एल.एन.पी. के खाता संख्या 2/8 का मुरब्बा नम्बर 3 की कुल 2.480 हैक्टर नहरी कृषि भूमि (अंगदजीत सिंह के नाम वाली) व इसी चक के खाता संख्या 51/47 का मुरब्बा नम्बर 11, 45, 48 की कुल 7. 4115 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 45 की 0.309 है कृषि भूमि, इसी चक का खाता संख्या 32/32 का मुरब्बा नम्बर 50 की कुल 1.846 हैक्टर में से 3/4 हिस्सा यानि 1.384 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व खाता संख्या 49/50 का मुरब्बा नम्बर 3 की 1.240 हैक्टर नहरी कृषि भूमि (रतनदीप कौर के नाम वाली) इस प्रकार कुल 5.413 है0 कृषि भूमि।
4. अंगदजीत सिंह पुत्र श्री हरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) का हिस्सा :– चक 5 एल.एन.पी का खाता संख्या 51/47 का मुरब्बा नम्बर 11, 45, 48 की कुल 7.4115 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 48 में से 1.031 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व इसी चक के खाता संख्या 35/31 का मुरब्बा नम्बर 11 व 49 की कुल 3.593 हैक्टर कृषि भूमि (तजेन्द्र सिंह के नाम वाली) व इसी चक के खाता संख्या 2/8 का मुरब्बा नम्बर 13 की 6.323 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि कुल 10.947 हैक्टर नहरी कृषि भूमि।
5. रतनदीप कौर पत्नी श्री राकेश सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) का हिस्सा :– चक 5 एल.एन.पी के खाता संख्या 51/47

का मुरब्बा नम्बर 45 की 1.240 हैक्टर कृषि भूमि (तजेन्द्र सिंह के नाम वाली), इसी चक का खाता संख्या 11/48 का मुरब्बा नम्बर 48 की कुल 2.618 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1.265 हैक्टर कृषि भूमि, कुल 2.505 हैक्टर कृषि भूमि।

वादी एवं प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर यह राजीनामा किया है। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 अपनी स्वेच्छा से अपनी पैतृक भूमि में से कोई हक वा हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपने अपने हिस्सा का हक परित्याग अपने वादी व प्रतिवादी के पक्ष में करती हैं। अतः उक्त वर्णित अनुसार राजस्व रिकार्ड में अलग दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान को कोई उजर वा एतराज ना होगा।

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि यह दावा प्रतिादी संख्या 2 के नाम से दर्ज एकल खाते एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी भूमि में से जिसमें वादी का कोई हक व हिस्सा दर्ज नहीं है लेनें हेतु वादी एवम् प्रतिवादीगण 2 से 6 द्वारा केवल मात्र स्टाम्प डयूटी बचानें के उदेश्य से आपसी सहमती से लाया गया है यह दावा यदि डिक्री किया जाता है, तो भारी राजस्व की हानी होगी दावा खारिज फरमाया जावे एवम् वादी से हर्जा खर्चा दिलाया जावे।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा शपथ पत्र पर बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवम् प्रतिवादी सयुंक्त हिन्दु खानदान परिवार के सदस्य है वादी उभयपक्ष द्वारा अपनी काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी सहमती से बंटवारा किया गया है तथा सयुक्त हिन्दु खानदान की पैतृक सम्पत्ति की आय से भूमि का क्रय किये जाने के कारण समस्त भूमि पैतृक भूमि की श्रेणी में आती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 48 के तहत भी खातेदार अपनी काश्त की सुविधा के अनुसार भी भूमि का विनियम किया जा सकता है। जिसके अन्तर्गत किसी भी प्रकार का राजस्व भार देय नहीं है। अतः प्रकरण श्रीमान्‌जी के क्षैत्राधिकार मे होनें के कारण वाद पत्र को उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को अनुतोष प्रदान किया जावे।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया उभयपक्ष एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है तथा पैतृक सम्पत्ति की आय से क्रय की गई भूमि भी पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी में होनें के कारण उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

—:: आदेश ::—

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53 तथा सपठित धारा 48, 89 के तहत वाद वादी स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :—

1. तनवीर सिंह पुत्र श्री राकेश सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) का हिस्सा :— चक 5 एल.एन.पी. का खाता संख्या 51/47 का मुरब्बा नम्बर 11, 45, 48 की कुल 7.4115 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 11 की 1.125 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि (तजेन्द्र सिंह के नाम वाली)।

लगातार 5

2. राकेश सिंह पुत्र श्री हरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) का हिस्सा :– चक 5 एल.एन.पी. के खाता संख्या 32/32 का मुरब्बा नम्बर 50 की कुल 1.846 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा यानि 0.462 हैक्टर कृषि भूमि व इसी चक का खाता संख्या 11/48 का मुरब्बा नम्बर 48 की कुल 2.618 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1.353 हैक्टर कृषि भूमि, चक का खाता संख्या 51/47 का मुरब्बा नम्बर 11, 45, 48 की कुल 7.4115 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि यानि 3.706 हैक्टर कृषि भूमि इस प्रकार कुल 5.521 हैक्टर कृषि भूमि।
3. तजेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) का हिस्सा :– चक 5 एल.एन.पी. के खाता संख्या 2/8 का मुरब्बा नम्बर 3 की कुल 2.480 हैक्टर नहरी कृषि भूमि (अंगदजीत सिंह के नाम वाली) व इसी चक के खाता संख्या 51/47 का मुरब्बा नम्बर 11, 45, 48 की कुल 7.4115 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 45 की 0.309 है कृषि भूमि, इसी चक का खाता संख्या 32/32 का मुरब्बा नम्बर 50 की कुल 1.846 हैक्टर में से 3/4 हिस्सा यानि 1.384 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व खाता संख्या 49/50 का मुरब्बा नम्बर 3 की 1.240 हैक्टर नहरी कृषि भूमि (रतनदीप कौर के नाम वाली) इस प्रकार कुल 5.413 है0 कृषि भूमि।
4. अंगदजीत सिंह पुत्र श्री हरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) का हिस्सा :– चक 5 एल.एन.पी का खाता संख्या 51/47 का मुरब्बा नम्बर 11, 45, 48 की कुल 7.4115 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 48 में से 1.031 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व इसी चक के खाता संख्या 35/31 का मुरब्बा नम्बर 11 व 49 की कुल 3.593 हैक्टर कृषि भूमि (तजेन्द्र सिंह के नाम वाली) व इसी चक के खाता संख्या 2/8 का मुरब्बा नम्बर 13 की 6.323 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि कुल 10.947 हैक्टर नहरी कृषि भूमि।
5. रतनदीप कौर पत्नी श्री राकेश सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) का हिस्सा :– चक 5 एल.एन.पी के खाता संख्या 51/47 का मुरब्बा नम्बर 45 की 1.240 हैक्टर कृषि भूमि (तजेन्द्र सिंह के नाम वाली), इसी चक का खाता संख्या 11/48 का मुरब्बा नम्बर 48 की कुल 2.618 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1.265 हैक्टर कृषि भूमि, कुल 2.505 हैक्टर कृषि भूमि।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 21.05.2018 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत 4 एम.एल. के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशमति आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
[illegible]